

भारतीय मानक ब्यूरो  
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिन्ह लगाने की अनुज्ञप्ति

Licence for the use of STANDARD MARK

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) सं. सीएम/एल 8500001711

LICENCE NO. CM/L - 8500001711

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

न्यू मंगला केबलस,  
खसरा नं 24/24, गली नं-1  
मास्टर मौहल्ला, एक्सटेंशन इंडस्ट्रीयल एरिया, लिबासपुर,  
दिल्ली -110042

को (जिसे इसमें आगे अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले कालम में दिखाए गए मानक चिन्ह का उपयोग करने को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करती है। इस मानक चिन्ह का उपयोग ऐसी वस्तु पर/प्रसंस्करण के संबंध में किया जाएगा जिसका उल्लेख इसकी उक्त अनुसूची के दूसरे कॉलम में किया गया है। यह वस्तु/प्रसंस्करण उक्त अनुसूची के तीसरे कालम में उल्लिखित संबंधित भारतीय मानक के अनुसार विनिर्मित होगी/के अनुरूप होगा।

1. By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 1986(63 of 1986) the BUREAU hereby grants to

M/s NEW MANGLA CABLES  
Kh No. 24/24, Gali No - 1, MASTER MOHALLA, Extensive Industrial Area,  
LIBASPUR  
Delhi - 110042

(hereinafter called 'the licensee') this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the First Schedule hereto, upon or in respect of the article/process set out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the third column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

**प्रथम अनुसूची**  
**THE FIRST SCHEDULE**

मानक चिन्ह STANDARD MARK (1)	वस्तु/प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (2)	भारतीय मानक INDIAN STANDARD(S) (3)
<p>IS 14255</p> 	<p>एरियल बंचड केबलस फार वरकिग वोलटेज अपटू एण्ड इंकलूडिंग 1100 वी फार सिंगल/थ्री फेस विद साइज आफ फेस कंडक्टर फरोम 16 एसक्यूएमएम अपटू एण्ड इंकलूडिंग 95एसक्यूएमएम विद XLPE इंसूलेटिड विद बेयर/इंसूलेटिड मैसेजर कंडक्टर विद/विदआउट स्ट्रीट लाईट कंडक्टर</p> <p>Aerial Bunched Cables for working voltage upto &amp; Including 1100V for Single/three phase with size of phase conductor from 16Sqmm upto &amp; including 95Sqmm with XLPE Insulated with bare/Insulated messenger conductor with/without street light conductor</p>	<p>आई एस 14255:1995 IS 14255 : 1995</p> <p>एरियल बंचड केबलस फार वरकिग वोलटेज अपटू एण्ड इंकलूडिंग 1100 वी-स्पेसिफिकेशन</p> <p>Aerial Bunched Cables for working voltages upto and including 1100 Volts- specification</p>

**द्वितीय अनुसूची**  
**THE SECOND SCHEDULE**

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संख्या सीएम/एल 8500001711 के लिए चिन्ह लगाने की फीस की अनुसूची  
SCHEDULE OF MARKING FEE FOR LICENCE NO.CM/L- 8500001711

वस्तु प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (1)	इकाई UNIT (2)	प्रति इकाई चिन्ह लगाने की फीस MARKING FEE PER UNIT (3)	भुगतान की रीति MANNER OF PAYMENT (4)
<p>एरियल बंचड केबलस फार वरकिंग वोलटेज अपटू एण्ड इंकलूडिंग 1100 वी फार सिंगल/थ्री फेस विद साइज आफ फेस कंडक्टर फरोम 16 एसक्यूएमएम अपटू एण्ड इंकलूडिंग 95एसक्यूएमएम विद XLPE इंसूलेटिड विद बेयर/इंसूलेटिड मैसेजर कंडक्टर विद/विदआउट स्ट्रीट लाईट कंडक्टर</p> <p>Aerial Bunched Cables for working voltage upto &amp; Including 1100V for Single/three phase with size of phase conductor from 16Sqmm upto &amp; including 95Sqmm with XLPE Insulated with bare/Insulated messenger conductor with/without street light conductor</p>	100 M 100 मीटर	<p>12.4प्रति सभी इकाइयो के साथ लागू अवधि के एक वर्ष के लिए 120200/- न्यूनतम मुहरांकन फीस सहित</p> <p>Rs.12.4 per unit for all the units with a minimum marking fee of Rs. 120200/= during an operative period of one year.</p>	<p>क) लाइसेंस के एक वर्ष लागू रहने के लिए न्यूनतम फीस अग्रिम देय होगी और यह फीस अगले नवीकरण(नवीकरणों) के लिए जमा रहेगी। (a) Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s).</p> <p>ख) लाइसेंस के पहले नवीकरण के समय लागू अवधि के पहले नौ महीनों के लिए लगे उत्पादन पर इकाई दर से बनने वाली चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, में देय होगी। बाद के नवीकरणों के लिए 12 महीने की अवधि के लिए चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस, जिसमें पिछली लागू अवधि के अन्तिम तीन महीने और चालू अवधि के पहले नौ महीने शामिल होंगे या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, देय होगी। (b) Actual marking fee for the first nine months of the operative period calculated on the unit rate on the production marked on the minimum fee, whichever is higher, shall be payable at Delhi, New Delhi at the time of the first renewal of the licence. For subsequent renewals, the actual marking fee for 12 months/period consisting of last three months of previous operative period and first nine months</p>

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से  
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

प्रमुख (दिल्ली शाखा कार्यालय ईईईई)  
Head (DELHI BRANCH OFFICE-EEE)

भारतीय मानक ब्यूरो  
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिह्न लगाने की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)  
Licence for the use of STANDARD MARK

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) सं० सीएम/एल- 8384690  
LICENCE NO. CM/L- 8384690

1. यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मैसर्स न्यू मंगला केबल्स,  
1159, चौ. बेगराज,  
गांव रिठाला,  
रोहिणी, दिल्ली- 110085

को ( जिसे इसमें आगे 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है ), इसकी प्रथम अनुसूची के पहले कालम में दिखाए गए मानक चिह्न का उपयोग करने को अनुज्ञप्ति ( लाइसेंस ) प्रदान करती है। इस मानक चिह्न का उपयोग ऐसी वस्तु पर/प्रसंस्करण के संबंध में किया जाएगा जिसका उल्लेख इसकी उक्त अनुसूची के दूसरे कालम में किया गया है। यह वस्तु/प्रसंस्करण उक्त अनुसूची के तीसरे कालम में उल्लिखित संबंधित भारतीय मानक के अनुसार विनिर्मित होगी/के अनुरूप होगा।

1. By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 1986 (63 of 1986) the BUREAU hereby grants to

M/s New Mangla Cables,  
1159, CH. Beg Raj,  
Village Rithala,  
Rohini, Delhi 110085.

(hereinafter called 'the licensee') this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the First Schedule hereto, upon or in respect of the article/process set out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the third column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

**प्रथम अनुसूची**  
**THE FIRST SCHEDULE**

मानक चिह्न STANDARD MARK (1)	वस्तु/प्रसस्करण ARTICLE/PROCESS (2)	भारतीय मानक INDIAN STANDARD(S) (3)
<p>IS: 1554</p>  <p>PART-1</p>	<p>1100 वोल्ट तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए पी वी सी रोधी भारी कार्य बिजली की केबल, खोलदार कवचदार/अकवचदार तांबा अथवा एल्युमिनियम चालक वाली रोधन टाइप ए, खोल एस टी 1 अल्पतापमान अवस्था और खानों में अनुप्रयोग की केबल को छोड़ कर ।</p> <p>PVC insulated (Heavy Duty) electric cables for working voltages upto and including 1100 V, sheathed, armoured/unarmoured with copper or aluminium conductor insulation type A, sheath ST 1 excluding cables for use under low temperature conditions and mines applications</p>	<p>आईएस : 1554 भाग 1 1988 पी वी सी रोधी भारी कार्य बिजली की केबल की विशिष्ट 1100 वोल्ट कार्यकारी वोल्टता के लिए।</p> <p>IS 1554 (Pt 1):1988 Specification for PVC insulated (heavy duty) electric cables: Part 1, for working voltages upto and including 1100V.</p>

# द्वितीय अनुसूची THE SECOND SCHEDULE

बनुक्ति ( साइसेस ) चरुया सीएम/एल- 8384690 के लिए चिह्न लगाने की फीस की अनुसूची

SCHEDULE OF MARKING FEE FOR LICENCE NO. CM/L-8384690

वस्तु प्रसस्करण ARTICLE/PROCESS (1)	इकाई UNIT (2)	प्रति इकाई चिह्न लगाने की फीस MARKING FEE PER UNIT (3)	सदाय की रीत MANNER OF PAYMENT (4)
<p>1100 वोल्ट तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए पी वी सी रोधी { भारी कार्य } बिजली की केबल, खोलदार क्वचदार / अक्वचदार तांबा अथवा एल्युमिनियम चालक वाली रोधन टाइप ए, खोल एस टी । अल्पतापमान अवस्था और खानों में अनुपयोग की केबल को छोड़कर ।</p>	<p>100 मीटर</p>	<p>रु. 3.00 प्रति इकाई सभी इकाइयों के साथ लागू अवधि के एक वर्ष के लिए रु. 13000/- न्यूनतम मुहराकन शुल्क सहित</p>	<p>(क) साइसेस के एक वर्ष लागू रहने के लिए न्यूनतम फीस अग्रिम देय होगी और यह फीस अगले नवीकरण (नवीकरणों) के लिए जमा रहेगी । (ख) Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s). (ग) लाइसेंस के पहले नवीकरण के समय लागू अवधि के पहले नौ महीनों के लिए चिह्न लेगे उत्पादन पर इकाई दर से बनने वाली चिह्न लगाने का वास्तविक फीस या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, दिल्ली/नई दिल्ली में देय होगी । बाद के नवीकरणों के लिए 12 महीने की अवधि के लिए चिह्न लगाने की वास्तविक फीस, जिसमें पिछली लागू अवधि के अन्तिम तीन महीने और चालू अवधि के पहले नौ महीने शामिल होंगे या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, देय होगी । (घ) Actual marking fee for the first nine months of the operative period calculated on the unit rate on the production marked of the minimum fee, whichever is higher, shall be payable at Delhi/New Delhi at the time of the first renewal of the licence. For subsequent renewals, the actual marking fee for 12 months/period consisting of last three months of previous operative period and first nine months of the current operative period or the minimum fee, whichever is higher, shall be payable.</p>
<p>PVC insulated (HD) electric cables for working voltage upto and including 1100V, sheathed, armoured/unarmoured with copper or aluminium conductor insulation type A, sheath ST1 excluding cables for use under low temp. conditions and mines applications</p>	<p>100 meter</p>	<p>Rs. 3.00 per unit for all the units with a minimum marking fee of Rs. 13 000/- during an operative period of one year.</p>	

भारतीय मानक ब्यूरो  
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिन्ह लगाने की अनुज्ञप्ति

Licence for the use of STANDARD MARK

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) सं. सीएम/एल 3078961  
LICENCE NO. CM/L - 3078961

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मैसर्स न्यू मंगला केबल्स,  
खसरा नं० 24/24, मास्टर मोहल्ला,  
गली नं० 1,  
एक्सटेंसिव इन्डस्ट्रियल एरिया,  
लिबासपुर,  
दिल्ली-110042

को (जिसे इसमें आगे अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले कालम में दिखाए गए मानक चिन्ह का उपयोग करने को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करती है। इस मानक चिन्ह का उपयोग ऐसी वस्तु पर/प्रसंस्करण के संबंध में किया जाएगा जिसका उल्लेख इसकी उक्त अनुसूची के दूसरे कॉलम में किया गया है। यह वस्तु/प्रसंस्करण उक्त अनुसूची के तीसरे कालम में उल्लिखित संबंधित भारतीय मानक के अनुसार विनिर्मित होगी/के अनुरूप होगा।

1. By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 1986(63 of 1986) the BUREAU hereby grants to

M/s NEW MANGLA CABLES  
KH. NO. 24/24, MASTER MOHALLA, GALI NO. 1  
EXTENSIVE INDUSTRIAL AREA, LIBASPUR  
Delhi - 110042

(hereinafter called 'the licensee') this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the First Schedule hereto, upon or in respect of the article/process set out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the third column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

प्रथम अनुसूची  
THE FIRST SCHEDULE

मानक चिन्ह STANDARD MARK (1)	वस्तु/प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (2)	भारतीय मानक INDIAN STANDARD(S) (3)
<p>IS 7098</p>  <p>Part 1 CM/L-3078961</p>	<p>Crosslinked polyethylene insulated thermoplastic sheathed cables for working voltage upto and including 1100V as per IS 7098(Part 1):1988 for electric supply and control purposes, category 01, with Copper/Aluminium Conductor, armoured, /unarmoured. excluding cables for use under low temperature conditions and for use in mines for the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Single core upto and including 1000 sq.mm.</li> <li>- Multicore upto and including 400 sq.mm.</li> </ul>	<p>IS 7098 : Part 1 : 1988</p> <p>Crosslinked polyethylene insulated thermoplastic sheathed cables:Part 1 For working voltage upto and including 1 100 V</p>

**द्वितीय अनुसूची**  
**THE SECOND SCHEDULE**

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संख्या सीएम/एल 3078961 के लिए चिन्ह लगाने की फीस की अनुसूची  
**SCHEDULE OF MARKING FEE FOR LICENCE NO.CM/L- 3078961**

वस्तु प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (1)	इकाई UNIT (2)	प्रति इकाई चिन्ह लगाने की फीस MARKING FEE PER UNIT (3)	भुगतान की रीति MANNER OF PAYMENT (4)
<p>Crosslinked polyethylene insulated thermoplastic sheathed cables for working voltage upto and including 1100V as per IS 7098(Part 1):1988 for electric supply and control purposes, category 01, with Copper/Aluminium Conductor, armoured/unarmoured, excluding cables for use under low temperature conditions and for use in mines for the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Single core upto and including 1000 sq.mm.</li> <li>- Multicore upto and including 4 core upto and including 400 sq.mm.</li> </ul>	100 METRE	Rs.4.4 per unit for all the units with a minimum marking fee of Rs. 29200/= during an operative period of one year.	<p>क) लाइसेंस के एक वर्ष लागू रहने के लिए न्यूनतम फीस अग्रिम देय होगी और यह फीस अगले नवीकरण(नवीकरणों) के लिए जमा रहेगी। (a) Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s). ख) लाइसेंस के पहले नवीकरण के समय लागू अवधि के पहले नौ महीनों के लिए लगे उत्पादन पर इकाई दर से बन्ने वाली चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, दिल्ली, नई दिल्ली में देय होगी। बाद के नवीकरणों के लिए 12 महीने की अवधि के लिए चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस, जिसमें पिछली लागू अवधि के अन्तिम तीन महीने और चालू अवधि के पहले नौ महीने शामिल होंगे या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, देय होगी। (b) Actual marking fee for the first nine months of the operative period calculated on the unit rate on the production marked on the minimum fee, whichever is higher, shall be payable at Delhi / New Delhi at the time of the first renewal of the licence. For subsequent renewals, the actual marking fee for 12 months/period consisting of last three months of previous operative period and first nine months</p>